



कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी



:: निविदा फार्म ::
अनुश्रवण हेतु वाहन

फार्म क्रमांक -

1. फार्म का नाम/वाहन मालिक का नाम -
2. वाहन क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नं. -
3. वाहन का प्रकार/मॉडल -
4. पता दूरभाष सहित -
5. पेन नंबर -
6. जमा की गई एफ.डी.आर./ड्राफ्ट का नं.

वाहन मालिक द्वारा प्रस्तावित प्रतिमाह किराये की दर - रु.....
शब्दों में -

दिनांक -
स्थान -

वाहन मालिक के हस्ताक्षर



कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी



:: निविदा फार्म ::
सामग्री परिवहन हेतु वाहन

फार्म क्रमांक -

1. फर्म का नाम/वाहन मालिक का नाम -
2. वाहन क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नं. -
3. वाहन का प्रकार/मॉडल -
4. पता दूरभाष सहित -
5. पेन नंबर -
6. जमा की गई एफ.डी.आर./ड्राफ्ट का नं.

वाहन मालिक द्वारा प्रति किलोमीटर प्रस्तावित दर - रु.
शब्दों में -

दिनांक -
स्थान -

वाहन मालिक के हस्ताक्षर



:: नियम व शर्तें सामग्री परिवहन हेतु ::

1. निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा।
2. निविदा के साथ 10000 रु. का ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डौरी के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 जुलाई 2015 दोपहर 1.30 बजे तक है। प्राप्त निविदाएं उसी दिवस 4.00 बजे तक खोली जावेगी।
4. निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाली निविदा का चयन किया जावेगा।
6. परिवहन हेतु सामग्री विकासखण्ड मुख्यालय से प्राप्त कर उसी विकासखण्ड की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं एवं आंगनवाडी केंद्रों में पहुंचाकर पावती निर्धारित प्रपत्र में जमा करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
7. वाहन चालक के पास वैद्य लायसेंस हो एवं वाहन का बीमा होना अनिवार्य है।
8. परिवहन सामग्री नष्ट होने या किसी भी प्रकार से खराब होने, गुम होने या निर्धारित स्थल पर निर्धारित मात्रा में न पहुंचने पर पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी जिसकी वसूली देयक में से कटौती कर की जावेगी।
9. सामग्री वितरण के दौरान यदि किसी शाला में सामग्री न पहुंचने या निर्धारित मात्रा से कम पहुंचने की शिकायत प्राप्त होती है तो वाहन मालिक को तत्काल सामग्री संबंधित शाला में उपलब्ध करानी होगी जिसका पृथक से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
10. सामग्री का पूर्णतः परिवहन करने के पश्चात् देयक दो प्रतियों में लॉग बुक सहित प्रस्तुत करनी होगी जिसमें विकासखण्ड मुख्यालय से निकटतम मार्ग से किलोमीटर की गणना की जावेगी।
11. देयक में से टेक्स की कटौती की जाकर शासन को चालान के माध्यम से जमा की जावेगी जिसकी प्रति फर्म को प्रदाय की जावेगी।
12. बिना किसी कारण बताये सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी